भारतीय जनसंघ

चुनाव घोषणा-पत्र

१९६७

१. युग परिवर्तन के लिये कृत संकल्प भारत की जनता के लिये चौथा आम चुनाव एक महान अवसर और चुनौती है। कांग्रेस दल पिछले बीस वर्षों से सत्तारूढ़ है। उसने जनता का विश्वास खो दिया है। वह भारतीय राष्ट्र के सामर्थ्य, स्वाभिमान और साधना को साकार नहीं कर पाया। उसने जनता और जवानों के पौरुष, पराक्रम और प्रतिकार क्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं किया, देश की एकता और आत्मीयता की अनुभूति नहीं की, जगमत का समादर नहीं किया और न जनहित की चिन्ता ही की। स्वतन्त्रता, समृद्धि और सामर्थ्य के साधक भारत को आज उसने दासता, दरिद्रता और दयनीयता के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज वह परावलम्बन, परानुकरण और पराभव की प्रतिमूर्ति है। अपने स्वदेश, स्वधर्म और स्वतन्त्रता के लिये सदियों से संघर्ष करने वाला भारत स्वराज्य में ऐसी सरकार को कभी सहन नहीं कर सकता। कांग्रेस के शासन को हमें बदलना ही होगा।

२. देश को एक पर्याय दल चाहिये। यह स्थान वही दल ले सकता है जिसके सिद्धान्त सत्य, नीतियां स्पष्ट और कार्यक्रम सुनिश्चित हों, जिसकी जड़ें जनता में गहरी हों और जिसका संगठन व्यापक हो, जिसके पास लगन वाले ध्येयनिष्ठ, समाजसेवी और अनुशासनपूर्ण कार्यकर्ताओं का बल हो, जो यथार्थ की ठोस धरती पर खड़े होकर राष्ट्र को आत्मविश्वास, साहस और धैर्यपूर्वक ध्येय की ओर ले जा सके। इस अपेक्षा को पूर्ण करने के लिये ही भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ। उसे जनता का बढ़ता हुआ सहयोग और विश्वास प्राप्त हुआ है। उसकी नीतियां समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। उसकी दृष्टि रचनात्मक रही है। प्रजातन्त्र में विरोधी दल के नाते उसने जनहित और जनाधिकार के पहरेदार का काम अत्यन्त सतर्कता और दक्षता से किया है। उसने जहां एक ओर शासन की गलत नीतियों की निर्भीकता और स्पष्टता से आलोचना की है वहीं दूसरी ओर राष्ट्र की रक्षा और जनता के हित के प्रत्येक काम में शासन को सक्रिय सहयोग भी दिया है।

आज की विषम परिस्थितियों में भारत की जनता जनसंघ की ओर एक अपेक्षाभरी दृष्टि से देखती है। जनसंघ अपने दायित्व के प्रति जागरूक है और उसका निर्वाह करने की योजना से ही चतुर्थ महा निर्वाचन में उतर रहा है।

३. भारतीय जनसंघ की 'नीति और सिद्धान्त' के अधीन हम अगले पांच वर्षों के लिये शासन का निम्नलिखित कार्यक्रम मतदाताओं के विचार और स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करते हैं।

४. आज देश की स्थिति अति विषम है। बाह्य आक्रमण और आन्तरिक विघटन एवं विद्रोह का संकट बढ़ रहा है। आर्थिक स्थिति अत्यन्त क्षीण, अभावग्रस्त और विपन्न है। शासनतन्त्र भ्रष्ट, अक्षम एवं प्रभावहीन हो गया है। समृद्धि, सुख और शान्ति के सपनों का साकार होना तो दूर बल्कि हमारी राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा कानून और व्यवस्था को भी खतरा पैदा हो गया है। अतः आवश्यक है कि स्थिति को सम्हालने के लिये अविलम्ब उपाय किये जायें। दुःख का विषय है कि कांग्रेस और दूसरे दल परिस्थिति का यथार्थवादी आकलन करने के स्थान पर विभिन्न वादों में उलझे हुये हैं। भारतीय जनसंघ राष्ट्र की सुरक्षा तथा जनता की रोटी, कपड़ा, मकान आदि की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के विषय में किसी 'वाद' से नहीं बंधा है। 'वाद' से न तो भूख का शमन होता है और न आक्रमणकारी और आसुरी तत्वों का दमन। जनसंघ इन प्रश्नों को राष्ट्रहित में यथार्थवादी दृष्टि से सुलझायेगा।

आक्रान्त भूभाग की मुक्ति

५. कम्युनिस्ट चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के बड़े भूभागों पर बलात् अधिकार करके बैठे हैं। कांग्रेस शासन की नीति इन क्षेत्रों को मुक्त कराने की नहीं रही। कोलम्बो प्रस्तावों की आड़ में चीन द्वारा अधिकृत भूभाग को भुलाने की कोशिश हुई है। कच्छ के रण में भारत की प्रभुता को अन्तर्राष्ट्रीय पंचाट का विषय बना दिया गया। ताशकन्द घोषणा के नाम पर पाक-अधिकृत काश्मीर के जिन भूभागों को हमारी सेना ने पिछले वर्ष आजाद किया था उन्हें भी वापस पाकिस्तान को सौंप दिया गया। इस नीति से दोनों शत्रुओं को अपनी स्थिति दृढ़ करने का मौका मिला है। अब वे मिलकर फिर आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। जनता ने शासन की इस नीति का कभी समर्थन नहीं किया। उसने दृढ़ता और प्रतिकार की मांग की है। जनसंघ के आह्वान पर १६ अगस्त १९६५ को संसद के समक्ष जनता का प्रदर्शन इसी भावना का प्रकटीकरण था। इसके उपरान्त ही भारत के जवानों ने लाहौर और स्यालकोट की ओर कूच किया तथा सम्पूर्ण राष्ट्र आन्दोलित हो उठा। उस समय देश की जनता और जवानों ने जिस एकता, अनुशासन, पुरुषार्थ और पराक्रम का परिचय दिया वह भारत के स्वातन्त्र्योत्तर काल की एक अभूतपूर्व घटना

है। कुछ दिनों तक लगा कि शासन जनभावनाओं के अनुसार ही चल रहा है। इससे भारत की शान ऊंची उठी, तथा जनता में विश्वास और साफल्य का भाव जागा। किन्तु दुर्भाग्य से, कांग्रेस शासन इस नीति को अधिक नहीं चला सका। वह अन्तर्राष्ट्रीय दबावों के सामने झुक गया। और फिर से समय से पूर्व युद्ध विराम तथा अतर्कसंगत और खेदजनक बातचीत का आत्मप्रतिष्ठा-घातक दौर आरम्भ हो गया। भारतीय जनसंघ जनता की भावनाओं और शासन की नीतियों के बीच की इस खाई को पाटेगा और आक्रान्त भूभाग की मुक्ति के लिये पग उठायेगा।

सुरक्षा

६. कम्युनिस्ट चीन और पाकिस्तान के विद्यमान आक्रमण तथा उनके कुत्सित इरादों को ध्यान रखते हुए आज की सुरक्षा नीति और विदेश नीति में परिवर्तन करना होगा। सुरक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित पग उठाये जायेंगे:—

(१) जल, थल और वायु सेना की संख्या में वृद्धि कर उन्हें आधुनिकतम शस्त्रों से सुसज्जित करना। गुप्तचर विभाग में सुधार करना तथा सेना और नागरिक गुप्तचर विभागों के बीच तालमेल की व्यवस्था करना।

(२) एक विशाल प्रादेशिक सेना (Territorial Army) का संगठन करना।

(३) विद्यालयों में २ वर्षों के लिये सैनिक शिक्षा का गहन प्रशिक्षण तथा विश्वविद्यालयों में युद्ध शास्त्र की शिक्षा।

(४) रक्षा सम्बन्धी उद्योगों का विकास एवं सुरक्षा विभाग का पुनर्गठन एवं अनुसंधान की समुचित व्यवस्था, जिससे देश इस दिशा में स्वावलम्बी हो सके।

(५) परमाणु एवं प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण।

(६) नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण तथा उसकी स्थायी व्यवस्था।

(७) युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के परिवारों की सहायतार्थ प्रत्येक जिले में एक ट्रस्ट बनाया जायेगा।

(८) सीमान्त क्षेत्रों के विकास, बसावट एवं प्रशासन के लिये विशेष योजना और सुविधा।

स्वतन्त्र विदेश नीति

७. भारत की विगतकाल की विदेश नीति विश्व के दो गुटों में विभा-

जन तथा उनके बीच के संघर्ष की पृष्ठभूमि में बनाई गयी थी। उसकी उपयोगिता विश्व की विशेष स्थिति तथा दोनों गुटों के संघर्षोन्मुख सम्बन्धों तक सीमित है। निर्गुटभाव न तो हमारी विदेश नीति का स्थायी और एकमात्र आधार बन सकता है, और न उसका निर्णायक सिद्धान्त। आज जब हम आक्रमण के शिकार हैं हमें मित्र संचय करना पड़ेगा। अतः भारतीय जनसंघ अपने राष्ट्रीय हितों को सामने रखकर एक स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करेगा तथा सभी देशों के साथ अपने सम्बन्ध समसहयोग के आधार पर बनायेगा। चीन और पाकिस्तान के आक्रमण के विरुद्ध विभिन्न देशों के साथ, फिर वे किसी भी गुट में क्यों न हों, द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते किये जायेंगे।

८. जनसंघ ताशकन्द समझौते और कोलम्बो प्रस्तावों की रट बन्द करेगा। वह तब तक चीन और पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करेगा जब तक कि वे आक्रान्त भूभाग को खाली करना स्वीकार नहीं करते।

९. भारतीय जनसंघ कम्युनिस्ट चीन का आक्रमण विद्यमान रहते तक उसके संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश का विरोध करेगा।

१०. भारतीय जनसंघ फारमोसा की चीन सरकार द्वारा भारत की प्रादेशिक अखण्डता स्वीकार करने पर उसे मान्यता देगा।

११. जनसंघ तिब्बत और सिक्यांग की स्वतन्त्रता का हामी है। वह दलाईलामा की निर्वासित सरकार को मान्यता देगा।

१२. भारत की पाकिस्तान की जनता के साथ कोई लड़ाई नहीं है। जनसंघ पाकिस्तानी जनता के उन सब आन्दोलनों के प्रति सहानुभूति रखता है जो वहां तानाशाही की समाप्ति तथा स्वतन्त्रता के लिये किये जा रहे हैं। भारतीय जनसंघ की भारत और पाकिस्तान के एकीकरण में निष्ठा है। वह उन सभी प्रयत्नों और प्रस्तावों का स्वागत करेगा जो बिना किसी तीसरी शक्ति की प्रेरणा के एकता हेतु किये जायं।

१३. दक्षिण पूर्व एशिया तथा अफ्रीका के देशों के साथ निकट सम्बन्ध स्थापित करने का विशेष प्रयास किया जायेगा।

रंगभेद तथा रोडेशिया की गोरी सरकार के विरुद्ध अफ्रीकी जनता के संघर्ष, जिसमें बल प्रयोग भी सम्मिलित है, को पूरा समर्थन देगा।

१४. भारतीय जनसंघ इजराइल के साथ दौत्य सम्बन्ध प्रस्थापित करेगा।

१५. भारत की स्थिति और विश्व में उसके महत्व को देखते हुए यह आवश्यक है कि वह सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य हो। इस उद्देश्य से

संयुक्त राष्ट्रसंघ के संविधान में संशोधन का प्रयास किया जायेगा।

१६. प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना भारतीय जनसंघ भारतीय राज्य का दायित्व मानता है। भारतीय जनसंघ गुआना, सुरिनाम, त्रिनीदाद, मारीशस, फिजी जैसे नये राज्यों के साथ, जहां प्रवासी भारतीय काफी संख्या में बसे हैं, विशेष मित्रता के सम्बन्ध विकसित करेगा। ब्रह्मदेश तथा तनजानिया के शासकों की नीति के परिणामस्वरूप जो भारतीय विस्थापित हुये हैं तथा जिनकी सम्पत्ति जब्त की गई है उन्हें पूर्ण क्षतिपूर्ति दिलाने का प्रयत्न किया जायेगा। श्रीलंका के जिन वासियों को उनके पूर्वजों का भारत के साथ सम्बन्ध होने के कारण नागरिकता से वंचित किया गया है उन्हें वहां की नागरिकता दिलाने के लिये श्रीलंका के साथ हुए समझौते में सुधार और उसके क्रियान्वयन के लिये पग उठाये जायेंगे।

राष्ट्रीय एकता

१७. आज देश में ऐसी शक्तियां सक्रिय हैं जो भारत की एकता और अखण्डता को चुनौती दे रही हैं तथा विदेशी शक्तियों के पंचमांगी के रूप में काम कर रही हैं, उनका दृढ़ता से उन्मूलन आवश्यक है। भारतीय जनसंघ 'राष्ट्रद्रोह' के विरुद्ध एक कानून बनायेगा जिसके अन्तर्गत इन तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

१८. देश की सुरक्षा, प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक विकास तथा भौगोलिक स्थिति का विचार कर पूर्वांचल प्रदेशों का पुनर्गठन किया जायेगा।

१९. देश में राष्ट्रीय भावना के संस्कार दृढ़ करने के लिये पग उठाये जायेंगे। भारत का वर्तमान संविधान देश की एकता को प्रकट नहीं करता। अतः संविधान को बदलकर एकात्मक शासन घोषित किया जायेगा।

साथ ही एक ऐसे उच्चाधिकार सम्पन्न पंच की नियुक्ति की जायेगी जो विभिन्न प्रान्तों अथवा प्रान्त और केन्द्र के बीच उठने वाले किसी भी विवाद पर पंचाट दे सके। उसका निर्णय सबको मान्य होगा।

२०. विदेशी मिशनरियों पर, नियोगी एवं रेगे समितियों की सिफारिशों के अनुसार रोक लगाई जायेगी।

२१. जम्मू और काश्मीर राज्य को अन्य प्रदेशों के स्तर पर लाने तथा वहां के वासियों को भारतीय संविधान में प्रदत्त सभी सुविधाएं और अधिकार दिलाने के हेतु जनसंघ संविधान के अनुच्छेद ३७० को विलोपित करने के लिये पग उठायेगा।

२२. फ्रांसीसी और पुर्तगाली चंगुल से मुक्त भारतीय भूभागों को राज्यपुनर्रचना के आधारभूत सिद्धान्तों के अनुसार पड़ोसी प्रान्तों में मिला दिया जायेगा।

समानता

२३. भारत के संविधान ने संपूर्ण देश के लिये एक ही नागरिकता तथा समान अधिकार दिये हैं, संविधान की इस भावना तथा एक राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के विपरीत कहीं-कहीं जाति, प्रान्त, भाषा, मजहब के आधार पर भेदभाव की शिकायत या इन आधारों पर विशेष सुविधा और संरक्षण की मांग की जाती है। जनसंघ पृथकतावादी मांगों तथा विभेदकारी व्यवहार दोनों को ही रोकेगा।

२४. पिछड़ी जातियों को एक निश्चित अवधि में समाज के समान स्तर पर लाने के लिये एक योजनानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जायेगा। जो व्यक्ति आगे बढ़ गये हैं उनका पिछड़ेपन में निहित स्वार्थ विकसित नहीं होने दिया जायेगा। पिछड़ी जातियों के समान ही अल्प आय वाले अन्य व्यक्तियों को भी सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी।

२५. भारत के सभी जनों के लिये विवाह, उत्तराधिकार, दत्तकविधान सभी एक से कानून बनाये जायेंगे।

प्रशासन

२६. आज प्रशासन का ढांचा जर्जर हो गया है। शासक वर्ग में एक ओर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अदक्षता है तो दूसरी ओर मूल वर्ग में अपनी सेवाओं और परिलाभ की स्थिति के सम्बन्ध में घोर असन्तोष; दोनों ही दृष्टि से सुधार के उपाय अपनाने होंगे। पानी के समान भ्रष्टाचार भी ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। साथ ही वस्तुओं का बढ़ता हुआ अभाव तथा अधिकाधिक सरकारी नियन्त्रण भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। अतः अभाव मिटाना होगा, नियन्त्रण ढीले करने होंगे, काम में विलम्ब करने की पद्धतियों और प्रवृत्तियों को समाप्त करना होगा तथा सुधार ऊपर से शुरू करना होगा।

२७. भारतीय जनसंघ एक उच्चाधिकार सम्पन्न आयोग बनायेगा जो बड़े-से-बड़े व्यक्ति के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर सकेगा। जनप्रतिनिधियों के व्यवहार के लिये एक आचरणसंहिता तैयार की जायेगी तथा विशेष कानून बनाकर उनके भ्रष्टाचार के लिये दण्ड की व्यवस्था की जायेगी।

२८. जनसंघ पिछले सभी मंत्रियों तथा विशेष अधिकार सम्पन्न व्यक्तियों की सम्पत्ति की जांच करायेगा। आगे भी सत्तारूढ़ व्यक्तियों की सम्पत्तियों की जांच होती रहेगी।

२९. केन्द्र, प्रान्त और स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन और परिलाभ समान स्तर पर होंगे। महंगाई बढ़ने पर महंगाई भत्ता उसी अनुपात में बढ़ाया जायेगा।

३०. ऐसे कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या है जो वर्षों से काम करने पर भी अस्थायी हैं, उन्हें स्थायी किया जायेगा। कैज्युअल लेबर के रूप में काम करने वाले मजदूरों का वेतन और परिलाभ बढ़ाया जायेगा तथा उन्हें अन्य कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं दी जायेंगी।

३१. कार्यालयों में ऐसा स्वचालित यन्त्रीकरण नहीं होगा जो बेकारी बढ़ाये।

३२. शासन अपने सभी कर्मचारियों के आवास, उनके परिवार की चिकित्सा तथा बालकों की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेगा।

३३. प्रशासकीय कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिये ब्रिटिश व्हिटले कौंसिल के समान एक प्रतिनिधिपूर्ण तथा प्रभावी वार्तातन्त्र स्थापित किया जायेगा।

३४. आज के जीवन यापन के खर्चों की पृष्ठभूमि में पेंशन वालों की पेंशनें बढ़ाने तथा उनके हित की अन्य बातों का ध्यान रखा जायेगा।

मितव्ययता और दक्षता

३५. कर्मचारियों को पूरे परिलाभ देते हुए जनसंघ प्रशासन में मितव्ययता और सादगी का आदर्श रखेगा। इस दृष्टि से अधिकारियों का अधिकतम वेतन राष्ट्रीय अधिकतम व्यय योग्य आय की मर्यादा के अनुरूप २००० रु० रखा जायेगा। मन्त्रिमण्डल की संख्या कम की जायेगी। राज्यपालों की नियुक्ति क्षेत्रीय आधार पर होगी। विधान परिषदें समाप्त कर दी जायेंगी। कमेटियों, परामर्शदाता बोर्डों के कार्य की जांच करके, अधिकांश को जो फालतू हैं, भंग कर दिया जायेगा।

३६. प्रत्येक कर्मचारी की जिम्मेदारी निश्चित की जायेगी तथा उसकी सेवाओं का विचार अपनी जिम्मेदारी के निर्वाह के अनुसार किया जायेगा। सारे दिन चलने वाले कवि-सम्मेलन, सप्ताह आदि दिखाऊ काम बन्द कर दिये जायेंगे।

३७. भारतीय जनसंघ न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, इंजीनियरिंग, प्रबन्ध आदि की अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करेगा।

जनाधिकार

३८. भारतीय जनसंघ आपात स्थिति की घोषणा को समाप्त कर देगा तथा भारत सुरक्षा नियम स्थगित कर दिये जायेंगे।

३९. जनसंघ उन सभी अधिनियमों की जांच करेगा जो आधारभूत अधिकारों को सीमित करते हैं तथा जो अनावश्यक और अवांछित हैं उन्हें रद्द कर देगा। एक ओर इस बात की सतर्कता रखी जायेगी कि जनाधिकारों और प्रजातन्त्रीय पद्धतियों का दुरुपयोग कर शत्रु के पक्षधारी तथा विध्वंसकारी तत्व देश की स्वतन्त्रता, अखण्डता और शान्ति को खतरा न लगायें तथा दूसरी ओर जनाधिकारों पर ऐसे बन्धन न लगें जिनसे प्रजातन्त्र कुंठित हो जाय तथा जिसका दुरुपयोग शासक-वर्ग जनता को त्रस्त करने तथा अपनी मनमानी के लिये करें।

४०. भारतीय जनसंघ सभी प्रजातन्त्रीय दलों के साथ मिलकर प्रजातन्त्रीय आन्दोलनों तथा मतभिव्यक्ति के तरीकों की एक आचरण संहिता तैयार करेगा।

४१. भारतीय जनसंघ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १०७, १०८, १०९, १४४, १५१, तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा १२४अ तथा १५३, १५३अ में संशोधन करेगा जिससे उनका नागरिक स्वतन्त्रता का अपहरण करने के लिये दुरुपयोग न हो सके।

४२. जनसंघ नागरिकों को शस्त्र रखने का अधिकार देगा। विशेष तौर पर कर्मचारियों को छोड़ कर अन्य सभी राज्य कर्मचारियों तथा शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार होगा।

विकेन्द्रीकरण

४३. भारतीय जनसंघ राजनैतिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था करेगा। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं, ग्राम पंचायतों तथा जिला परिषदों को संविधान में स्थान तथा उसमें अधिकार प्राप्त होगा। उनके साधन स्रोतों की वृद्धि होगी।

ग्राम पंचायतों को ऊपर से न थोपकर नीचे से विकसित किया जायेगा। वहां सर्वसम्मत चुनाव की पद्धति प्रचलित की जायेगी। पुरस्कार में से उन्हें निश्चित धनराशि दी जायेगी।

न्याय

४४. जनसंघ न्याय-पद्धति में सुधार करेगा। कार्यपालिका तथा न्याय-पालिका को सभी स्तरों पर पृथक किया जायेगा तथा न्यायपालिका को पूर्णतया उच्च-न्यायालय के अधीन किया जायेगा।

४५. जनसंघ काम के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करेगा। उनके परिलाभ राज्य की आर्थिक स्थिति के अनुरूप बढ़ाये जायेंगे। अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की कार्यपालिका द्वारा विभिन्न पदों या आयोगों पर नियुक्त करने की पद्धति समाप्त कर दी जायेगी।

४६. अर्वतनिक मजिस्ट्रेटों की प्रथा खत्म कर दी जायेगी। जनसंघ न्याय को सस्ता और शीघ्रतर करेगा। राजादेश याचिकाओं पर कोई फीस नहीं ली जायेगी।

शिक्षा

४७. संविधान में १९६१ तक सभी बालकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का निर्देश राज्य को दिया गया है। किन्तु यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। भारतीय जनसंघ अगले पांच वर्षों में इस निर्देश का पालन करने के लिये पग उठायेगा। माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था रहेगी।

४८. भारतीय जनसंघ शिक्षा का भारतीयकरण तथा अभिनवीकरण कर उसे राष्ट्रीय जीवन मूल्यों से सम्बद्ध करेगा।

४९. भारतीय जनसंघ शिक्षा संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का रक्षण करेगा तथा उनको राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त करेगा। प्रत्येक जिले के आधार पर एक शिक्षा मण्डल का गठन किया जायेगा जिससे जिले के सभी विद्यालय संबन्ध होंगे। मण्डल में शिक्षकों तथा प्रबन्धकों तथा शासन के प्रतिनिधि होंगे। मण्डल विभिन्न शिक्षा संस्थाओं का अधीक्षण करेगा तथा उनके काम में तालमेल बिठायेगा।

जनसंघ उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा को तनवर्ती विषय बनायेगा।

५०. जनसंघ सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों के वेतनमान के अन्तर को समाप्त कर सबको एक ही स्तर पर लायेगा। सभी विद्यालयों में वेतन क्रम समान होंगे।

५१. प्राथमिक पाठशालाओं के शिक्षकों का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण किन्तु उनकी स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। जनसंघ उनकी स्थिति सुधारने का विशेष प्रयत्न करेगा। उनका न्यूनतम वेतन १५०) मासिक निश्चित किया जायेगा।

५२. शिक्षा का माध्यम उच्चतम स्तर तक क्षेत्रीय भाषाएं होंगी। अहिन्दी क्षेत्रों में हिन्दी माध्यम के विद्यालयों की भी व्यवस्था रहेगी। भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें तैयार कराने की विशेष योजना बनाई जायेगी।

५३. मातृभाषा, संस्कृत और हिन्दी का समावेश त्रिभाषी-सूत्र में होगा। जिनकी मातृभाषा हिन्दी है उन्हें एक भारतीय भाषा का पढ़ना अनिवार्य होगा। विदेशी भाषा की शिक्षा ऐच्छिक होगी।

५४. भारतीय जनसंघ वर्तमान 'पब्लिक स्कूलों' और दूसरे स्कूलों के बीच विद्यमान अन्तर को समाप्त करेगा। विदेशी परीक्षाओं के लिये तैयार करने वाले स्कूलों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी।

५५. जनसंघ उन प्रतिष्ठित भारतीयों को जो आज विदेशों में कार्य-रत हैं, स्वदेश बुलाकर उनकी प्रतिभा एवं अनुभवों का उपयोग करने के लिये ठोस पग उठायेगा।

राजभाषा

५६. कांग्रेस शासन ने संविधान के राजभाषा सम्बन्धी आदेशों का पूरी तरह उल्लंघन कर अंग्रेजी को देश के ऊपर थोपा है। भारतीय जनसंघ राष्ट्र को अंग्रेजी की दासता से मुक्त करेगा। जनसंघ निम्नलिखित भाषा-नीति को व्यवहार में लायेगा :

(१) संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित किया जायेगा। समारोहों तथा सरकारी अवसरों पर उसका ही प्रयोग होगा।

(२) क्षेत्रीय भाषाओं को प्रदेश के राजकाज की भाषा यथाशीघ्र बना दिया जायेगा।

(३) केन्द्र के उन विभागों का काम, जिनका जनता से सम्बन्ध रहता है, हिन्दी तथा प्रदेश भाषा के माध्यम से चलेगा।

(४) केन्द्र का काम हिन्दी में होगा। जो कर्मचारी हिन्दी नहीं सीख पाये उन्हें एक निश्चित अवधि तक अंग्रेजी के प्रयोग की छूट रहेगी।

(५) लोकसेवा आयोग की परीक्षाएं हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से ली जायेंगी।

५७. भारतीय जनसंघ हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं के लिये समान पारिभाषिक शब्दावली तैयार करवायेगा।

विस्थापितों का पुनर्वास तथा क्षतिपूर्ति

५८. पाकिस्तान की हिन्दू-विरोधी नीति के परिणामस्वरूप तथा समय-

समय पर गैर-इस्लामी सम्प्रदायों को बाहर खदेड़ने के लिये होने वाले सुनियोजित दंगों के कारण लगभग एक करोड़ लोग पूर्वी बंगाल से विस्थापित होकर भारत आये हैं। उनके पुनर्वास का दायित्व भारत शासन ने सम्हाला है किन्तु इस दिशा में कोई सन्तोषजनक काम नहीं हुआ। भारतीय जनसंघ इस दिशा में बनी हुई योजनाओं को शीघ्र पूरा करेगा। दण्डकारण्य तथा अन्य योजनाओं में स्थानीय निवासियों का सहयोग लिया जायेगा जिससे विस्थापितों और पुराने लोगों के बीच सौहार्द और आत्मीयता का भाव बना रहे।

५९. इन विस्थापितों को नागरिकता देने की व्यवस्था पुनर्वास कार्यक्रम के अंग के रूप में ही की जायेगी।

६०. पाकिस्तान से आये व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति की क्षतिपूर्ति की जायेगी। यह क्षति-पूर्ति तथा पुनर्वास का व्यय पाकिस्तान से वसूल किया जायेगा।

विस्थापितों को बसाने के लिये पाकिस्तान से भूमि मांगी जायेगी।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

६१. भारत की समाज-व्यवस्था ने संयुक्त कुटुम्ब के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा की आश्वस्ति प्राप्त थी। अब संयुक्त कुटुम्ब टूट रहे हैं। अतः हमें सामाजिक सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। न्यायतः यह दायित्व उन प्रतिष्ठानों पर आता है जहां व्यक्ति श्रम करके राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान देता है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के रूप में यह काम कुछ क्षेत्रों में प्रारम्भ हुआ है। किन्तु कोई व्यापक एवं सभी पहलुओं का आकलन करने वाली योजना नहीं बनाई गई है। भारतीय जनसंघ बीमारी, अपाहिजी, बेकारी, बुढ़ापा तथा आश्रितों की शिक्षा और संस्कार की सभी आवश्यकताओं का विचार कर एक व्यापक सामाजिक कल्याण कानून की रचना करेगा तथा उन सभी विषयों में व्यक्ति को आश्वस्ति देगा।

मद्य-निषेध

६२. भारतीय जनसंघ मद्यपान को सामाजिक बुराई समझता है जिसका निराकरण आवश्यक है। कांग्रेस शासन ने मद्य निषेध की जो नीति अपनाई है वह अपने उद्देश्यों में असफल रही है, वरन् उससे नाजायज भट्टियां बढ़ी हैं। जनसंघ इस नीति को बदलेगा। वह सम्पूर्ण देश के लिये एक ही नीति बनायेगा और उसे सभी जगह लागू करेगा। साथ ही सुधारवादी कार्यक्रमों पर बल देकर लोगों को मद्यपान से विरत किया जायेगा।

स्वास्थ्य और चिकित्सा

६३. भारतीय जनसंघ चिकित्सा के क्षेत्र में किसी वाद या प्रणाली विशेष से बंधा नहीं है। वह सभी चिकित्सा प्रणालियों को प्रोत्साहन देगा। आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा प्रणाली के रूप में मान्यता दी जायेगी तथा उसका उन्नत विकास किया जायेगा।

६४. सभी प्रकार की औषधियों के निर्माण में देश को स्वावलम्बी बनाने का यत्न किया जायेगा तथा इस दृष्टि से पेटेण्ट कानून में भी आवश्यक संशोधन किया जायेगा।

आवास

६५. आज देश में आवास की बहुत ज्यादा कमी है। पिछली तीन योजनाओं में प्रथम की इस महती आवश्यकता का महत्व ही नहीं आंका गया और इसके जो भी कार्यक्रम लिये गये वे पूरे नहीं हुये। भारतीय जनसंघ प्रत्येक कुटुम्ब को एक साफ सुथरा गृह का लक्ष्य रखकर आवास निर्माण की वृहद योजना बनायेगा तथा उसके लिये स्थानीय सामग्री का उपयोग किया जायेगा।

६६. शहरों में गन्दी बस्तियों की समाप्ति तथा वहां के निवासियों के पुनर्वास को प्राथमिकता दी जायेगी। जब तक ये बस्तियां नहीं हटती तब तक के लिये वहां पानी, रोशनी, शौचालय आदि सभी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी।

आर्थिक कार्यक्रम

६७. स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद शासन का ध्यान और शक्ति भारत के आर्थिक विकास पर ही केन्द्रित होने और उसके लिये पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा नीति और कार्यक्रमों के अनुसार प्रयत्नशील होने के बावजूद भी आज देश में न तो एक स्वचालित विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था की नींव रखी जा सकी है और न जन-सामान्य के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाया जा सका है। राष्ट्र की सुरक्षा की आवश्यकताओं का तो योजना के निर्माताओं ने कभी विचार ही नहीं किया था, इसलिये इस दृष्टि से वर्तमान भारत की अर्थ-व्यवस्था असमर्थ हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आज जनता के अनेक वर्गों में प्रति व्यक्ति आय गिरी है और विषमतायें बढ़ी हैं। मूलभूत आवश्यकताओं तथा औद्योगिक उत्पादन की आधारभूत वस्तुओं, दोनों का भारी अभाव है। मंहगाई और बेकारी दोनों ही निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। योज-

नाओं ने अर्थ-व्यवस्था को इतना परावलम्बी बना दिया है कि विदेशों से ऋण और भारी आयात प्रत्येक क्षेत्र में अपरिहार्य हो गया है। अमरीकी गेहूं सरकार की खाद्य-नीति का आधार है। बिना कल-पुर्जों और कच्चे माल के आयात के हमारा औद्योगिक उत्पादन गिर जाता है। विकास और विस्तार की योजनाएं तो अनिवार्य रूप से विदेशी पूंजी और तन्त्रज्ञता के आधार पर बनाई जाती हैं। इतनी अधिक परावलम्बिता के कारण ही शासन को बाहरी दबाव में आकर रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा। देश की राजनीतिक और आर्थिक नीतियों को भी बदलने के लिये दबाव डाले जा रहे हैं। योजनाओं में जिस व्यूहनीति और प्राथमिकताओं को स्वीकार किया गया है उनके कारण आज सरकारी तंत्र का व्याप इतना बढ़ गया है कि उद्योगी, व्यापारी, किसान और मजदूर, प्रत्येक नियन्त्रण और नियमन की भूलभुलैयों से बाहर निकलकर राहत और सन्तोष की सांस ही नहीं ले पाता। बढ़े हुये सरकारी खर्च के लिये जनता पर कर-भार लादा गया है तथा व्यापक रूप में अपरिमित घाटे की अर्थ-व्यवस्था का सहारा लिया गया है, फलतः रुपये की क्रय-शक्ति बराबर गिरती जा रही है।

६८. भारतीय जनसंघ प्रारम्भ से ही शासन की योजनाओं तथा आर्थिक नीतियों की गलतियों की ओर तथा उनसे होने वाले दुष्परिणामों की ओर संकेत करता रहा है। अब जबकि ये परिणाम इतने भयावह रूप में देश के सामने आ चुके हैं, हमने आशा की थी कि चौथी योजना को बनाते समय अनुभवों से शिक्षा लेकर पिछली गलतियों को सुधारा जायेगा तथा अर्थ-व्यवस्था को सन्तुलित करने की दृष्टि से उसके स्वरूप, आकार और व्यूह नीति का विचार किया जायेगा। किन्तु यह कुछ नहीं हुआ, बल्कि आयोग ने गलत रास्तों पर और भी तेजी से दौड़ने की सलाह दी है। भारतीय जनसंघ इस आत्मघाती कदम को रोकेगा तथा भारत की आर्थिक नीतियों में क्रान्तिकारी परिवर्तन करेगा। हमें एक ओर तो ऐसे तात्कालिक उपाय अपनाने होंगे जिससे खाद्याभाव, महंगाई और विदेशी मुद्रा के संकट से राहत मिले और दूसरी ओर दूरगामी योजना और नीतियों का निर्धारण कर एक स्वावलम्बी विकासमान तथा समतापूर्ण अर्थ-व्यवस्था की नींव रखनी होगी।

नयी योजना

६९. भारतीय जनसंघ आर्थिक नियोजन को मानता है। अभी तक जो योजनायें बनी हैं वे अर्थ-व्यवस्था को पुनरुज्जीवित करने तथा जनता के कष्टों

को दूर करने में असमर्थ रही है। प्रत्युत उनसे गम्भीर तनाव और कठिनाइयाँ पैदा हुई हैं। उनका निराकरण काम चलाऊ उपायों से नहीं हो सकता। चौथी योजना के जिस स्वरूप की कल्पना की जा रही है उसमें दूरगामी उपाय नहीं सुझाये गये। जनसंघ का मत है कि योजनाओं के उद्देश्य, प्राथमिकतायें, तकनीक तथा व्यूह रचना में परिवर्तन करना चाहिये। योजना का आधार देश के साधन और क्षमता होना चाहिये। वह व्यावहारिक हो तथा उसका उद्देश्य अर्थ-व्यवस्था का सन्तुलित विकास होना चाहिये। बाहर की औद्योगिकी का अनुकरण और आयात करने के स्थान पर हमें अपनी औद्योगिकी का निर्माण करना चाहिये। देश के आत्मनिर्भर आर्थिक विकास के लिये औद्योगिकीय स्वावलम्बन अपरिहार्य है।

भारतीय जनसंघ योजना को बदलेगा। योजना का उद्देश्य अर्थ-व्यवस्था को इस योग्य बनाना होना चाहिये कि वह देश की सुरक्षा तथा जनता के वर्तमान जीवन-स्तर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में समर्थ हो सके। भारत की जनशक्ति का पूर्ण उपयोग तथा जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिये। सार्वदेशीय आधार पर बनी योजना के द्वारा निश्चित नीतियों का तथा कार्यक्रम की मोटी रूपरेखा का निर्धारण होगा, तथा सन्तुलित विकास एवम् प्रभावी क्रियान्वयन की दृष्टि से क्षेत्रीय एवं परियोजनाओं की विवरण-मूलक योजनाएं बनाई जायेंगी।

खाद्य-नीति

७०. खाद्यान्न की कमी, क्रयशक्ति का ह्रास तथा वितरण की खराबी आज की खाद्य-समस्या के लिये जिम्मेदार है। कांग्रेस शासन ने जो नीतियां अपनाई हैं उनसे यह समस्या और उलझी है। भारतीय जनसंघ निम्नलिखित उपाय अपनायेगा :

(१) अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिये कृषकों को सब प्रकार का प्रोत्साहन दिया जायेगा। सिंचाई की दरें तथा लगान में छूट, सस्ती दर पर खाद, बीज, औजार तथा सिंचाई के साधनों की व्यवस्था की जायेगी।

(२) किसानों को खाद्यान्नों का प्रोत्साहक मूल्य दिया जायेगा। लेवी तथा खरीद का एकाधिकार समाप्त कर दिया जायगा।

(३) खाद्य निगम की शाखायें सभी प्रदेशों में खोली जायेंगी जो एक प्रतिस्पर्धी व्यापारी के नाते काम करेंगी। किसानों से बाजार मूल्य पर ही माल खरीदा जायेगा। दाम गिरने पर पूर्व-घोषित न्यूनतम मूल्य पर निगम माल खरीदेगी।

(४) खाद्य निगम किसानों से फसल का अग्रिम सौदा करेगी। इससे एक ओर किसान की कर्ज की आवश्यकता पूर्ण हो जायेगी तथा दूसरी ओर निगम को धान्य की आश्वस्ति रहेगी।

(५) क्रय-विक्रय अथवा बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियां निगम के अभिकर्ता के रूप में काम करेंगी।

(६) खाद्यान्न के क्षेत्र तोड़ दिये जायेंगे तथा दूसरे इसी प्रकार के प्रतिबन्ध हटा दिये जायेंगे।

(७) अन्न का वितरण केन्द्रीय विषय होगा। प्रान्तों पर केवल उत्पादन वृद्धि का दायित्व रहेगा।

(८) अमरीका से अन्न के आयात को अगले पांच वर्षों में बिल्कुल खत्म कर दिया जायेगा। ब्रह्मदेश तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से द्विपक्षीय व्यापार समझौता करके चावल प्राप्त करने की व्यवस्था की जायेगी।

(९) बड़े-बड़े नगरों तथा स्थायी रूप से अभाव के क्षेत्रों को अलग करके वहां राशन व्यवस्था लागू की जायेगी। राशन की मात्रा कम-से-कम १६ औंस प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रहेगी।

(१०) सस्ते गल्ले की दुकानों की व्यवस्था सम्पूर्ण देश में रहेगी। केवल अल्प आय वाले व्यक्ति ही वहां से अनाज ले सकेंगे।

(११) सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य उद्योगों के श्रमिकों को महंगाई भत्ते का एक अंश सस्ते भाव पर आवश्यक वस्तुओं के रूप में दिया जायेगा।

(१२) अनाज पर बिक्री कर तथा दूसरे कर हटा दिये जायेंगे।

(१३) दूध तथा सहायक खाद्यान्नों के उत्पादन पर विशेष बल दिया जायेगा।

(१४) जमाये हुए तेल को रंगना अनिवार्य किया जायेगा।

कृषि-नीति

७१. भारतीय जनसंघ अपनी योजनाओं में कृषि को प्राथमिकता देता है। कांग्रेस शासन ने खेती का विचार भूमि सुधारों, जो अधूरे और अक्रियान्वित रहे हैं, तथा बड़े-बड़े बांधों तक ही किया है। सघन खेती की ओर, जो भारत की कृषिनीति का लक्ष्य होना चाहिये था, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अतः हमारी खेती की उत्पादकता में विशेष वृद्धि नहीं हुई है।

सघन खेती के साथ ही बंजर भूमि को खेती के काम में लाया जायेगा। कांस तथा दूसरी हानिकारक घासों से खेतों की सफाई के लिये एक नया व्यावहारिक कार्यक्रम अपनाया जायेगा।

भूधृति की निश्चिति

७२. भूमि सुधारों का उद्देश्य किसान के भूमि सम्बन्धी अधिकारों को निश्चित बनाना है जिससे खेती में पूंजी लगाई जाय तथा उसका विकास हो सके। कांग्रेस शासन के भूमि सुधार इस उद्देश्य में असफल रहे हैं। कानून से जो अधिकार दिये हैं वे व्यवहार में नहीं आये। भूमि सुधारों में संशोधन भी लगातार होते रहे हैं। सहकारी खेती और सरकारीकरण के नारों ने तो किसान के मन में भावी के विषय में भारी अनिश्चितता पैदा कर दी है। भारतीय जनसंघ किसान को भूमि का मालिक मानता है। इस उद्देश्य से भूमि-सुधारों को अमल में लाया जायेगा तथा आगे भूमि सम्बन्धी अधिकारों में परिवर्तन न करने की आश्वस्ति दी जायेगी। बेदखलियां रोक दी जायेंगी।

चकबन्दी में चलने वाली धांधली बन्द की जायेगी। चकबन्दी का खर्चा किसान से नहीं लिया जायेगा।

७३. भूमि को पट्टे पर देने का अधिकार समाप्त होने के कारण आज बहुत सी जमीन या तो बिना जुती रह जाती है या ठीक करके भूमि को अनार्थिक बनाती। भारतीय जनसंघ खेती के मालिकों को ठीक करके भूमि को अनार्थिक जोत वालों तथा भूमिहीनों को पट्टे पर देने का अधिकार स्वीकार करेगा। सरकारी जमीनों के पट्टे स्थायी किये जायेंगे।

खेती के लिये ऋण

७४. भारतीय जनसंघ गांवों में स्टेट बैंक तथा दूसरे बैंकों की शाखायें खुलवायेगा जिससे सस्ते ब्याज पर किसानों की कर्ज की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। साथ ही सहकारी समितियों को भी पर्याप्त सहायता दी जायेगी जिससे वे ऋण की मांग को पूरा कर सकें।

सिंचाई

७५. जनसंघ प्रयत्न करेगा कि प्रत्येक खेत की सिंचाई व्यवस्था हो सके। इस हेतु जो बड़ी योजनाएं चल रही हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जायेगा। नहरी क्षेत्रों में जहां सिंचाई पूरी नहीं हो पाती नलकूपों की पूरक व्यवस्था की जायेगी। जमीन के नीचे के पानी का पूरा अध्ययन करके सिंचाई के उपयुक्त साधनों की योजना बनाई जायेगी। पुराने कुओं, तालाबों और बांधों की मरम्मत की व्यवस्था होगी तथा एक बड़े पैमाने पर सिंचाई के इन छोटे साधनों का विकास किया जायेगा। सरकार की ओर से नलकूप लगाये

जायेंगे तथा उनकी सिंचाई की दर नहरों की दर के समान ही होगी। जो निजी नलकूप लगायेंगे उन्हें सस्ती दर पर बिजली मिलेगी तथा उन्हें दूसरे किसानों को भी पानी बेचने का अधिकार होगा।

खाद और बीज

७६. किसानों को कम्पोस्ट खाद तैयार करने और हरी खाद का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। बीजों की उन्नत किस्म तैयार की जायगी। प्रत्येक विकास खण्ड में एक भूमि परीक्षण प्रयोगशाला होगी जो प्रत्येक खेत की मिट्टी का मुफ्त परीक्षण करेगी। भूमि के अनुकूल ही किसानों को उर्वरक और बीज सस्ते दर पर दिये जायेंगे।

लगान में कमी

७७. कांग्रेस शासन ने किसान के लगान में विभिन्न आधारों पर वृद्धि की है। चौथी योजना में और वृद्धि का सुझाव है। भारतीय जनसंघ इस वृद्धि का विरोधी है। जनसंघ भूमि के लगान की दरों को एक वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित करेगा तथा भूमि की किस्म, पैदावार, भूधृति की पद्धति, किसानों के जीवन-स्तर को ऊंचा करने की आवश्यकता आदि का विचार करके एक-सी कर व्यवस्था लागू करेगा।

कृषि उपज बीमा

७८. जनसंघ कृषि उपज बीमे की व्यवस्था करेगा।

गोरक्षा

७९. गौ भारत का राष्ट्रीय मानबिन्दु है। भारत की खेती का आधार भी गौ है। भारतीय जनसंघ संविधान में संशोधन करके सम्पूर्ण देश में गोवध हत्या पर प्रतिबन्ध लगायेगा।

८०. गोरक्षा तथा गौ की नस्ल सुधारने के लिये कार्यक्रम लिये जायेंगे। देश भर में गो सदनों की स्थापना की जायगी जहां बूढ़ी गायें और बैल रखे जायेंगे। प्रत्येक ग्राम में गोचर भूमि छोड़ी जायेगी। गोशालाओं तथा डेरियों की स्थापना की जायेगी।

कृषि मजदूर

८१. खेतिहर मजदूरों को परती जमीन या हदबन्दी से बची हुई जमीन बांटी जायेगी। उनकी न्यूनतम मजदूरी वर्तमान मूल्यों के हिसाब से निश्चित की जायेगी और उसे लागू किया जायेगा। उनकी आमदनी बढ़ाने के लिये

सहायक उद्योगों की स्थापना की जायेगी। खेतिहर मजदूरों को अचल सम्पत्ति के स्थान पर व्यक्तिगत जमानत पर ऋण मिल सकेगा।

वन

८२. भारतीय जनसंघ पर्याप्त वनरोपण की व्यवस्था करेगा। वन महोत्सव एक दिखावा न रहकर प्रभावी कार्यक्रम बनेगा।

वनों के साथ वनवासियों का अभिन्न सम्बन्ध है। वन के विकास और उनसे होने वाली समृद्धि में उन्हें साझीदार बनाया जायेगा। वनोपज संग्रह के उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। वनों के ठेके से होने वाले लाभ में से वनवासी मजदूरों को बोनस दिया जायेगा।

जिन जमीनों पर वनवासी खेती करते हैं उनका पट्टा उनके नाम पर कर दिया जायेगा। उन जमीनों को, जहां वन नहीं रहे तथा खेती के लायक हैं, वनवासियों को खेती तथा वनरोपण के लिये पट्टे पर दी जायेंगी। सीढ़ी पद्धति चालू की जायेगी।

तेंदू पत्ते के संग्रह का जहां राष्ट्रीयकरण हुआ है वहां उसे मुक्त कर दिया जायेगा।

उद्योग

८३. पिछले पन्द्रह वर्षों से औद्योगिक विकास पर बहुत बल दिया गया है। अतः कई नये क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन प्रारम्भ हुआ है। किन्तु जिस औद्योगिकी के आधार पर यह औद्योगीकरण हुआ है वह बाहर से तथा भिन्न-भिन्न देशों से ली हुई है। विदेशी पूंजी और पेटेंटों की उसमें बहुत अधिकता है। फलतः उससे पर-निर्भरता बढ़ी है, साथ ही ये उद्योगधन्धे भारत की अर्थ-व्यवस्था से एकात्म नहीं हो पाये।

८४. आज का औद्योगिक ढांचा बहुत पूंजी प्रधान है। बड़े उद्योगों पर बल, विदेशी पूंजी से गठबन्धन, सार्वजनिक क्षेत्र का आधिक्य तथा केन्द्रीकरण ने इसे इतना पूंजी प्रधान बना दिया है कि भारत जैसे पूंजी विरल देश के लिये वह भार बन गया है। अतः आवश्यक है कि विनियोजन पद्धति को बदला जाय। विकेन्द्रीकरण, स्वदेशी साधन तथा श्रम प्रधान औद्योगिक प्रणाली को स्वीकार किया जाय तो हमारी भौतिक उपलब्धियां अधिक होंगी, बेकारी मिटेगी, विषमता कम होगी तथा आयात पर निर्भरता न होने के कारण विदेशी मुद्रा का अभाव भी नहीं रहेगा। अतः भारतीय जनसंघ देश के लिये उपयुक्त नये ढांचे का विकास करके उसको आज के उद्योगों के साथ संकलित करेगा।

भारतीय जनसंघ विकेन्द्रित छोटे उद्योगों को भारत के औद्योगीकरण के लिये उपयुक्त मानता है। अतः यन्त्रचालित छोटे उद्योगों को प्राथमिकता एवं सब प्रकार की सुविधा दी जायेगी।

स्वदेशी और स्वावलम्बन

८५. भारतीय जनसंघ स्वदेशी और स्वावलम्बन पर प्रारम्भ से ही बल देता रहा है। पाकिस्तान के साथ संघर्ष के समय विदेशी सहायता बन्द होने के बाद जब हमारे उद्योगधन्धों को विदेशी कच्चा माल और पुर्जे मिलने बन्द हो गये उस समय शासन का तथा देश का ध्यान उस ओर गया तथा आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रम प्रारम्भ हुए। किन्तु अवमूल्यन और उसके कारण विदेशी सहायता का वचन मिलने के बाद से वह नीति फिर बदल गई है। शासन ने उदारता के नाम पर जो आयात नीति अपनाई है उससे इन कार्यक्रमों को धक्का लगा है। भारतीय जनसंघ आयात नीति में उदारता के स्थान पर सुनिश्चित कुशलता को अधिक उपयुक्त समझता है। बिना स्वदेशी व स्वावलम्बन लिये हम विदेशी मुद्रा के संकट से नहीं उबर सकते।

विदेशी मुद्रा का संकट

८६. भारतीय जनसंघ अधिक औद्योगीकरण के लिए तथा विदेशी मुद्रा की कमी को दूर करने के लिए उन सभी उद्योगों को लाइसेन्स से मुक्त कर देगा जो पूर्णतः स्वदेशी साधन और पूंजी से खड़े किये जायेंगे।

८७. जिन उद्योगों में विदेशी साधन लगते हैं उनमें तब तक विस्तार नहीं किया जायेगा जब तक कि विद्यमान क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता।

८८. प्रत्येक उद्योग में लगने वाले पुर्जों और कच्चे माल के लिये आयात प्रतिस्थापन का कार्यक्रम बना कर उसे पूरा किया जायेगा।

८९. भारतीय जनसंघ राष्ट्रीय अनुसंधानशालाओं के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी डालेगा कि वे आयात प्रतिस्थापन के काम में पूरी मदद करें। निजी क्षेत्र द्वारा अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

निर्यात-आयात व्यापार

९०. कम्युनिस्ट देशों को छोड़ शेष विदेशी व्यापार निजी क्षेत्र में रहेगा।

९१. भारतीय जनसंघ निर्यात वृद्धि के लिये नये बाजार ढूंढेगा। जहां तक होगा वह विदेशी सहायता निर्यात के साथ सम्बद्ध करेगा। जो देश भारत से माल आयात करने को तैयार नहीं हैं उनसे यथासंभव सहायता नहीं ली जायेगी।

९२. निर्यात नीति का निर्धारण करते समय देश की आवश्यकता तथा मूल्यों का ध्यान रखा जायेगा।

९३. भारतीय जनसंघ विदेशी व्यापार के बीमे का भारतीयकरण करेगा।

विदेशी पूंजी

९४. भारतीय जनसंघ विदेशी पूंजी पर निर्भरता को न्यूनतम करेगा। विदेशी पूंजी के साथ गठबन्धन केवल कुछ प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में ही स्वीकार किया जायेगा। विदेशी पूंजी को किसी भी शर्त पर आधे से अधिक अंश नहीं लेने दिये जायेंगे।

९५. भारतीय जनसंघ खान, जूट, तम्बाकू, काफी, चाय, रबर, दियासलाई, साबुन, वनस्पति, बिस्कुट तथा ऐसे अन्य उद्योगों के, जो बहुतांश में विदेशियों के हाथ में है, उत्तरोत्तर भारतीयकरण की व्यवस्था करेगा।

भारतीय जनसंघ पेटेंट कानून में संशोधन करेगा।

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था

९६. भारतीय जनसंघ मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में विश्वास करता है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के नाम पर चलने वाला आज का विवाद और शीत युद्ध सारहीन है। आज देश में विकास के लिये इतना क्षेत्र है कि दोनों ही क्षेत्रों की शक्तियां और साधन अपूरे सिद्ध होंगे।

९७. जनसंघ यह मानता है कि किसी भी उद्योग का स्वामित्व निर्धारण करते समय समाजवाद के किताबी सिद्धान्त की अपेक्षा क्षमता, योग्यता तथा उपयुक्तता का ही मुख्यतः विचार करना चाहिये।

९८. पिछली तीन योजनाओं में सरकारी क्षेत्र का इतना अधिक विस्तार हुआ है कि उसे अब विद्युत, खनिज तेल तथा सुरक्षा उद्योगों को छोड़कर शेष में दृढ़ीकरण का ही विचार करना चाहिये।

९९. भारतीय जनसंघ विद्यमान निजी क्षेत्र के उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं है। यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें किसी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता प्रतीत हुई तो उसका निर्णय राजनीतिक आधार पर न करके एक न्यायिक आयोग की जांच के आधार पर किया जायेगा।

पूंजी निर्माण

१००. भारतीय जनसंघ पूंजी निर्माण को सब प्रकार से प्रोत्साहन देगा।

लोगों में संयम का भाव पैदा करने, बचत की प्रवृत्ति बढ़ाने तथा पूंजी प्राप्त करने के लिये व्यय योग्य आय की अधिकतम मर्यादा २००० रु० प्रति मास निश्चित की जायेगी।

१०१. भारतीय जनसंघ अभिकोषण के विस्तार के लिये निजी और शासकीय बैंकों के सामने एक निश्चित कार्यक्रम और लक्ष्य रखेगा। जनसंघ बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रस्ताव को असमीचीन मानता है। अनुसूचित बैंकों के संचालक मंडल में अमानतदारों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि के समावेश की व्यवस्था होगी।

कर नीति

१०२. पिछले पन्द्रह वर्षों में भारत की कर नीति मनमाने ढंग से बनी है। केन्द्र, प्रान्त और स्थानीय संस्थाओं ने अनेक कर लगाये हैं। उनमें से कई ऐसे हैं जो एक ही वस्तु पर या एक ही वर्ग पर पड़ते हैं। इस प्रकार के करारोपण का दुष्परिणाम मूल्यों और पूंजी निर्माण दोनों पर ही रहा है। भारतीय जनसंघ एक कर जांच आयोग का गठन करेगा जो भारत की कर-व्यवस्था की जांच करके करदाताओं को राहत पहुंचाने तथा राष्ट्र की आर्थिक आवश्यकताओं तथा सामाजिक मूल्यों तथा करदाता के संदर्भ में एक एकात्मक कर नीति का सुझाव दे।

मूल्य नीति

१०३. भारतीय जनसंघ एक मूल्य नीति निर्धारित करेगा जिसमें कच्चे और पक्के माल के मूल्य, वेतन और उजरत, ब्याज और लाभ इन सबके बीच तालमेल बना रहे। जनसंघ भौतिक नियंत्रणों के विरुद्ध है। वह मौद्रिक एवं वित्तीय उपायों से ही मूल्य नीति का नियमन करेगा। गन्ना तथा दूसरी नगद फसलों का दाम पक्के माल के मूल्य के अनुपात में बढ़ाया जायेगा।

१०४. आज महंगाई रोकने के लिये आवश्यक है कि सरकार के खर्च में भारी कटौती की जाय तथा जीवनोपयोगी वस्तुओं का उत्पादन तथा उपलब्धि बढ़ाई जाय। जनसंघ इस दिशा में पग उठायेगा।

न्यूनतम आय

१०५. जनसंघ प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी देता है। आज की स्थिति में प्रत्येक काम करने वाले को कम-से-कम १२५ रु० उजरत के रूप में अवश्य मिलेगा।

१०६. जो महिलाएं पूरे समय काम नहीं कर सकतीं तथा अर्धबेकारों की आय में वृद्धि के लिए सहायक उद्योगों की व्यवस्था की जायेगी।

श्रम

१०७. भारतीय जनसंघ श्रमिकों को प्रबन्ध और लाभ में साझेदार मानता है। अतः वह औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिये एक कार्यक्रम निर्धारित करेगा, जिसके अंतर्गत अगले पांच वर्षों में सभी संगठित उद्योगों में यह योजना लागू हो सके।

१०८. भारतीय जनसंघ एक स्थायी वेतन बोर्ड गठित करेगा जो प्रत्येक उद्योग में समय-समय पर वेतनमान निश्चित करेगा। जब तक असली मजदूरी तथा बोर्ड द्वारा निश्चित मजदूरी में अंतर है तब तक जनसंघ बोनस को स्थगित मजदूरी के रूप में मानेगा। इसके उपरान्त ही बोनस मुनाफे में भाग समझा जायेगा। इस दृष्टि से जनसंघ बोनस कानून में संशोधन करेगा।

१०९. भारतीय जनसंघ ठेके वाले मजदूरों के बोनस के अधिकार को भी स्वीकार करता है।

११०. भारतीय जनसंघ जीवन निर्वाहांक की वर्तमान तालिका को बदल कर आधुनिक रूप से तैयार करायेगा।

१११. सरकारी उद्योगों में सभी श्रम कानून अन्य उद्योगों के समान ही लागू होंगे।

यातायात

११२. जनसंघ सड़क, रेल, जल एवं हवाई यातायात के विस्तार एवं समन्वित विकास की ओर विशेष ध्यान देगा।

११३. जनसंघ सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण का विरोधी है। जहां राष्ट्रीयकरण हो चुका है वहां निजी मोटरों को सरकारी मोटरों के प्रतियोगिता में चलने की अनुमति दी जायेगी।

११४. अधिक जनता गाड़ियां चलाने, रात्रि को यात्रा करने वालों को बिना मूल्य सोने की सुविधायें प्रदान करने का प्रयत्न किया जायेगा। रेल के जिन मार्गों पर दूरी से अधिक मीलों का किराया लिया जाता है, वहां किराया कम किया जायेगा।

११५. रेलवे कर्मचारियों को रेलवे बोर्ड पर प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। सभी रेलों पर सेवा के नियमों और परिलाभों में एकरूपता लाई जायेगी। चयन मण्डलों (Selection Boards) के नाम पर चलने वाली धांधली बंद की जायेगी।

११६. देश भर में मोटर टैक्सों तथा भारवहन के नियमों में एकरूपता लाई जायेगी। अंतर्राज्यीय परिवहन के प्रतिबन्ध समाप्त कर दिये जायेंगे।

११७. पटना से कलकत्ता तक गंगा नदी को तथा डिब्रूगढ़ से गोहाटी तक ब्रह्मपुत्र को जहाजरानी के लिये उपयुक्त बनाने की योजना तैयार की जायेगी। घाटों के प्रबन्ध की ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दी जायेगी और उनका प्रबन्ध नाविकों की सहायता से चलाया जायगा।

११८. जहाजरानी के विकास के लिये विशेष व्यवस्था की जायेगी जिससे निकट भविष्य में ही हम अपने सम्पूर्ण विदेशी व्यापार की ढोने में आत्मनिर्भर बन सकें। छोटे-छोटे और नये बन्दरगाहों का विकास किया जायेगा तथा तटीय नौकायन में सवारी और माल की दरों में वृद्धि नहीं होने दी जायेगी। नाविकों और कर्मचारियों में विदेशियों के स्थान पर भारतीय नियुक्त किये जायेंगे।

११९. सीमा क्षेत्रों में यातायात तथा संचार की व्यवस्था के लिए विशेष योजना ली जायेगी। असम के लिए पर्याप्त मार्गों का निर्माण किया जायेगा।

१२०. पिछले बीस वर्षों से कांग्रेस शासन ने जो नीतियां अपनाई हैं उनके दूरगामी घातक परिणामों और सम्भावनाओं की ओर हम निरन्तर जनता का ध्यान दिलाते रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने अपनी पिछली कमाई की दुहाई देकर तथा सुखमय भविष्य की आशा पैदा करने वाले मोहक नारों से जनता को बराबर भुलावे में रखा। किन्तु पिछले पांच वर्षों में जो कुछ घटा है उसने देश को बुरी तरह झकझोर दिया है। अब किसी भी नारे अथवा शब्दाडम्बर से इन तथ्यों को नहीं झुठलाया जा सकता कि (१) देश की सुरक्षा और सेना की ओर ध्यान न देने के कारण तथा पंचशील और सह-अस्तित्व के नारे के भुलावे में आकर, कम्युनिस्ट चीन की असलियत न समझने के कारण हमें १९६२ में नेफा और लद्दाख में अपमानजनक पराजय देखनी पड़ी। (२) अव्यावहारिक विदेश नीति के कारण पाकिस्तानी आक्रमण के समय दुनिया के किसी देश ने हमारा साथ नहीं दिया बल्कि अमरीका, ब्रिटेन और रूस तीनों ने ही हमारे ऊपर दबाव डाला जिसके सामने झुककर कच्छ के रण का मामला एक अन्तर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल को सौंपा गया तथा ताशकन्द घोषणा करके भारत के जवानों के पराक्रम और बलिदानों पर पानी फेर दिया गया। (३) भारत की मूलभूत एकता और एकात्मता पर बल देने के स्थान पर उसकी विविधताओं

की आड़ में काम करने वाली पृथकतावादी विघटनकारी तथा राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ सन्तुष्टीकरण की नीति के कारण काश्मीर का एकीकरण नहीं हुआ। नागा और मिजो क्षेत्रों में विद्रोह पनपा, छोटी-छोटी इकाइयों में भी अलग रहने की प्रवृत्ति बढ़ी। प्रान्त, केन्द्र के ऊपर हावी होते जा रहे हैं। भाषा विवाद इतना बढ़ गया है कि अब सदा के लिये अंग्रेजी देश पर थोप दी गई है। प्रान्तीयता, जातिवाद और साम्प्रदायिकता अपने प्रचण्ड विकराल रूप में सर उठा रही है। (४) देश के साधन सामर्थ्य और स्वाभिमान का विचार न करते हुए परानुकरण और पराश्रय के आधार पर बनाई गई योजनाओं के कारण आज हम पूरी तरह परावलम्बी हो गये हैं। यहां तक कि हमें अपने खाने की कीमत भी अन्नदाताओं और ऋणदाताओं के इशारे पर उनके भले के लिये निश्चित करनी पड़ी है (५) भारत के शील, स्वधर्म और नीति की उपेक्षा कर जनता में अर्थ-परायण लिप्साओं को बलवती करने के कारण आज भ्रष्टाचार इतना व्यापक हो गया है कि कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहा तथा बड़े से बड़े व्यक्ति को भी अपवाद मानना कठिन हो गया है। कांग्रेस शासन न तो देश की रक्षा कर पाया और न उसने संविधान की। आज हमारा तन भूखा है, मन टूटा है और धन लुट चुका है। भारत की ४६००० वर्गमील भूमि शत्रुओं के हाथ में है। संकटकालीन स्थिति की घोषणा स्थायी सी कर दी गई है जिससे संविधान और जनता के मौलिक अधिकार समाप्त हो गये हैं। राजभाषा के प्रश्न पर संविधान के अनुच्छेदों को ताक पर रख दिया गया है। गोहत्या बन्दी, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण आदि प्रश्नों पर संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों की पूरी तरह अवहेलना की गई है।

कांग्रेस को शासन चलाने और देश का स्वरूप अपनी कल्पना के अनुसार ढालने के लिए बीस वर्षों का एक लम्बा समय और पूर्णतः अनियंत्रित सत्ता दी जा चुकी है। वह पूर्णतः असफल रही है। अब और अधिक अवसर नहीं दिया जा सकता। भारत के नागरिकों को जो अपने देश के स्वामी और भाग्य के नियन्ता हैं अब उन चन्द व्यक्तियों के चंगुल से निकलना होगा जिनका कांग्रेस के शासन में निहित स्वार्थ है। इन्होंने देश को लूटा और तबाह किया है। आइये चतुर्थ आम निर्वाचन में हम एक प्रजातन्त्रीय क्रान्ति का सृजन करें और देश के पुरुषार्थ को नई दिशा दें।

—जय भारत—